



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**NOTICE**

फा. सं.: NCST/ATY-1369/CG/1/2023-APCR


दिनांक: 26/07/2023

श्री डी. रविशंकर  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला-जशपुर,  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
जशपुर, छत्तीसगढ़ 496331  
Email Id: [sp-jashpur.cg@gov.in](mailto:sp-jashpur.cg@gov.in)  
Tel. No: 07763-223240

**विषय: गाली गलोज, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में - श्रीमती निरमनी बाई, जिला - जशपुर, छत्तीसगढ़ का अभ्यावेदन**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती निरमनी बाई से दिनांक 18/07/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

  
(हरि राम मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती निरमनी बाई  
ग्राम - झांपीधरहा, वार्ड नंबर - 06,  
न. पांचा, बगीचा,  
जिला - जशपुर छत्तीसगढ़,  
Mobile No: 9399996738